



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1937 (शा०)

(सं० पटना 476) पटना, वृहस्पतिवार, 16 अप्रील 2015

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी 2015

एस०ओ० 55, दिनांक 16 अप्रील 2015—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण/पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एस०ओ०-323 दिनांक 03.12.2008-सह-अधिसूचना संख्या-3985 दिनांक 07.08.2008 द्वारा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद का पुनर्गठन किया गया है।

उपर्युक्त गठित पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अधिसूचना की कंडिका-4 में वर्णित यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-3985 दिनांक 07.08.2008 द्वारा गठित न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद का निम्न रूप में पुनर्गठन करती है:-

स्वतंत्र सदस्य

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| (1) | प्रधान सचिव/सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष |
| (2) | श्रमायुक्त, बिहार | - | सचिव-सह-संयोजक |
| (3) | निदेशक, कृषि श्रमिक निदेशालय,
बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| (4) | ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना के एक प्रतिनिधि | - | सदस्य |

(5)	नगर विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के एक प्रतिनिधि।	-	सदस्य
(6)	कृषि विभाग, बिहार सरकार के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
(7)	औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंध विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
(8)	पर्यावरण एवं वन विभाग, के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य

नियोजकों के प्रतिनिधि

- (1) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम।
- (2) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य दुर्घट उत्पादक सहयोग समितियाँ (COMFED)।
- (3) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम।
- (4) पी०के०अग्रवाल, बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना।
- (5) सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना।
- (6) आर०एल० खेतान, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना।
- (7) अरुण अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना।
- (8) अनिल चमरिया, सत्कार होटल, कटिहार।
- (9) डॉ० कुमार अरुणोदय, आचार्य सुदर्शन फाउण्डेशन, पटना।
- (10) महाप्रबंधक, बाटा इंडिया लि०, शाखा पटना।
- (11) नरेश भट्ट, सचिव, बिहार चीनी मिल एसोसियेशन।
- (12) अखिलेश कुमार, प्रबंध निदेशक, गंगा डेयरी, बेगूसराय।

नियाजितों के प्रतिनिधि

- (1) श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, रिफाईनरी मजदूर यूनियन, बरानी।
- (2) डॉ० सियाराम शर्मा, अध्यक्ष, खेतिहार मजदूर संघ, पश्चिम बिहार, रंजन पथ, बेली रोड, पटना।
- (3) श्री विन्देश्वर प्रसाद सिंह, महासचिव, अग्रगामी असंगठित मजदूर यूनियन।
- (4) श्री विकास सिंह, अध्यक्ष इंटक (जूट मिल), कटिहार।
- (5) श्री राकेश चौधरी, संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ (जूट मिल), कटिहार।
- (6) श्री प्रमोद कुमार, अध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर, बिहार राज्य कमिटि, मेनका मार्केट, प्रथम तल्ला, नाला रोड, पटना।
- (7) श्री अरुण कुमार मिश्रा, भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र, सूर्या पैलेस, जमाल रोड, पटना।
- (8) श्री श्रीवास्तव अविनाश प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश, क्वार्टर नं०-१, रोड नं०-१, गर्दनीबाग, पटना।
- (9) सलोनी, सचिव, घरेलू कामगार संघ, कुलहरिया कम्पलेक्स, 5, बी०-१, अशोक राजपथ, पो०-बांकीपुर, पटना-४
- (10) राज्य समन्वयक, नेशनल एसोसियेशन ऑफ स्ट्रीट थेन्डर्स ऑफ इंडिया (NASVI), शाखा पटना।
- (11) मेसर्स एस०के०नसीरूद्दीन, बीड़ी कम्पनी प्रा०लि०, बिहारशारीफ, नालंदा।
- (12) राज्य समन्वयक, सेवा भारत।

2. समिति का मुख्यालय पटना में रहेगा।

3. समिति की अवधि दो वर्षों की होगी परन्तु दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अगला पुनर्गठन होने तक उक्त समिति कार्य करती रहेगी।

4. चूँकि यह समिति वैद्यानिक (Statutory) है। अतएव बिहार दैनिक भत्ता नियमावली, 1949 के नियम-144 (1) के अन्तर्गत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1524 दिनांक 10.03.2000 के कंडिका-3 (ए) (ii) में अंकित वेतन सीमा (8000 रुपया एवं इसके अधिक किन्तु 16400 रुपया से कम) तथा वित्त विभाग

के संकल्प सं0-922 दिनांक 29.01.2010 के आलोक में समिति के प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य, जो उस स्थान के निवासी नहीं है, जहाँ बैठक हो रही है, के निमित द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी माने जाएंगे, जिन्हें निम्न प्रकार से यात्रा भत्ता देय होगा :-

- | | | | | |
|----|---|-------|--------------------|----------------|
| 1. | रेल यात्रा - | (i) | सभी ट्रेनों के लिए | ए0सी0 2 टायर |
| | | (ii) | राजधानी एक्सप्रेस | तदैव |
| | | (iii) | शताब्दी एक्सप्रेस | ए0सी0 कर्सुयान |
| 2. | सड़क यात्रा- गैर ए0सी0 टैक्सी/बस | | | |
| 3. | (i) दैनिक भत्ता (अन्य शहरों के लिए) सामान्य | - | रूपया 200/- | |
| | (ii) होटल - | - | रूपया 1000/- | |
| 4. | सदस्य को यह यात्रा विराम भत्ता उसी दशा में अनुमान्य होगा जब वे यह प्रमाणित कर देंगे कि उन्होंने जिस यात्रा/विराम भत्ता के लिए दावा किया है, उसके संबंध में उन्होंने दूसरे श्रोत से कोई यात्रा/विराम भत्ता नहीं लिया है। | | | |
| 5. | श्रमायुक्त, बिहार समिति के सचिव-सह-संयोजक गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। | | | |
| 6. | इसका आय व्यय-व्यय शीर्ष-“2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय-0013-सरकार द्वारा गठित समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता विपत्र कोड-एन0-2052000900013 के अन्तर्गत यात्रा व्यय इकाई से विकलनीय होगा। | | | |
| 7. | यात्रा भत्ता के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। | | | |

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों को अग्रसारित की जाय।

(सं0 5/एम0डब्लू0-1025/2010 श्र0सं0-271)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार नं0-1,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 476-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>